इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन परीक्षाएं आयोजित की, पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति देने के लिए वार्षिक द्वितीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की, स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान परियोजनाएं आयोजित की, जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू किये और द्वि-पक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित किये ।

दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना

819. श्री राम जेठमलानी :
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से स्कूल की शिक्षा पूरी करके आगे अध्ययन करने हेतु कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नियमित कालेजों की संख्या में वृद्धि की है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार खोले गये नये कालेजों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या चालू वर्ष में कोई नये कालेज खोले जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1987–88 में तीन नए कालेज और 1988–89 में एक नया कालेज खोला गया था ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने 1990–91 के लिए अपने योजनागत आवंटन में यमुनापार में दो कालेज और पश्चिम दिल्ली में एक कालेज खोलने के लिए प्रावधान किया है।

820. [Transferred to the 24th May, 1990]

5–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये शिक्षा

821. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 5 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में दाखिल करने के प्रति वचनबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई समयबद्ध योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 से वर्ष 1995–96 की अवधि के दौरान देश में उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी होगी; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त बच्चों के लिए कितने विद्यालयों की आवश्यकता पड़ने की संभावना है और सरकार कितने विद्यालय खोल पाने में सक्षम होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जहां तक सम्भव हो स्कूलों से माध्यम से और यदि आवश्यक हो तो गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के

माध्यम से उनकी संतोषजनक कोटि की शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना सरकार की नीति है । उनकी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए और संसाधनों की उपलब्धता पर, राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन, बच्चों को स्कूली सुविधाएं प्रदान करते हैं । केन्द्र सरकार गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

आपरेशन ब्लेक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार, एकल शिक्षक स्कूलों में दूसरे शिक्षक के रूप में अधिमानता एक महिला शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए सहायता और प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान करती है ।

(ग) वर्ष 1995 तक 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 17.93 करोड़ है ?

(घ) स्कूल में बच्चों की औसत अधिकतम संख्या से संबंधित कोई मानदंड नहीं है जिसके आधार पर खोले जाने वाले नए स्कूलों की संख्या निर्धारित की जा सके । प्राथमिक स्कूल उन बस्तियों में खोले जाने की संभावना है जहां एक स्कूल में 50 बच्चों के होने की संभावना हो । उच्च प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल आवाह के आधार पर खोले जाते हैं । स्कूलों का खोलना और स्कूलों का विस्तार और उनका स्तरोन्नत एक सतत प्रक्रिया है जो बस्तियों और जनसंख्या में वृद्धि, दाखिला में वृद्धि और बच्चों को स्कूल में रोके रखने, शैली परिवर्तन की दरों में सुधार और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त परियोजनाओं को मंजूरी

822. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विभिन्न मंत्रालयों से मंजूरी के लिए बहुत सी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी थी, जिनके संबंध में 31 मार्च, 1990 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी परियोजनाएं गत छः माह या उससे अधिक समय से मंजूरी प्राप्त करने हेतु, सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है जिसके द्वारा किसी भी परियोजना के संबंध में निर्णय तीन माह की अधिकतम अवधि के भीतर लिया जाएगा; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) से (ग) जी, हां । 31 मार्च, 1990 तक पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(घ) पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया में पहले ही यह व्यवस्था है कि उन सभी परियोजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए जिनके बारे में पूर्ण पर्यावरणीय और वानिकी से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हों । यदि अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो प्रस्तावों को रद्द कर दिया जाता है । ऐसे मामलों पर पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होते ही फिर से कार्यवाही की जाती है । परियोजनाओं को तभी लम्बित रखा जाता है जब अतिरिक्त आंकड़ों के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा होती है ।